सं. ई-36011/8/2020-बीपीएंडएल

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(बीपीएंडएल अनुभाग)

*****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांकः 23 मार्च, 2020

सेवा में,

सभी मुख्य सचिव, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र

विषयः कोविड-19 को फैलने के जोखिम को देखते हुए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रचालन जारी रखना सुनिश्चित करना।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको ज्ञात है, भारत सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें कोविड-19 के फैलने को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। इस स्थिति में, सुदृढ़ और अनिवार्य सूचना प्रसार नेटवर्क जैसे टीवी चैनल, न्यूज एजेंसियां, टेलीपोर्ट ऑपरेटर, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गेदरिंग (डीएसएनजी), डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) और हाईएंड-इन-द स्काई (एचआईटीएस), मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ), केबल ऑपरेटर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन (एफएम) रेडियो और सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) का समय पर और प्रमाणित सूचना का प्रसार सुनिश्चित करना एवं राष्ट्र को अद्यतन स्थिति से अवगत रखना अति आवश्यक है। इस समय झूठे और मिथ्या समाचारों से बचने की और उत्तम प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और इसे सुनिश्चित करने में ये नेटवर्क मुख्य भूमिका निभाते हैं।

2. ऐसी गंभीर स्थिति में, उपरोक्त सूचना नेटवर्कों का निर्बाध रूप से चलना और उनका लोगों तक पहुंचना सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्थिति में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में निम्नलिखित शामिल होंगेः-

क) प्रिंटिंग प्रेस और समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का वितरण ढांचा;
ख) सभी टीवी चैनल और सहायक सेवाएं जैसे टेलीपोर्ट और डीएसएनजी;
ग) डीटीएच/एचआईटीएस प्रचालनों से जुड़े उपकरण/सुविधाएं आदि तथा इनका रख-रखाव;
घ) एफएम/सीआरएस नेटवर्क;
ङ) एमएसओ और केबल ऑपरेटरों के नेटवर्क; और
च) न्यूज एजेंसियां।

3. सभी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनुरोध है कि उपरोक्त सेवाओं को लगातार परिचालित रखने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करें। तदनुसार, यह भी अनुरोध है कि यदि कोविड-19 की रोकधाम के लिए कोई भी प्रतिबंध लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है, तो निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएः-

क) श्रृंखला में ऐसी सुविधाओं के सभी ऑपरेटरों/मध्यस्थों को अपना प्रचालन जारी रखने की अनुमति दी जाए;

ख) निर्बाध आपूर्ति और वितरण कार्य में सहायता की जाए, जैसा अपेक्षित हो;

ग) इन सुविधाओं को सेवा प्रदाताओं के स्टॉफ द्वारा चलाए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए;

घ) सेवा प्रदाताओं के प्रमाणित स्टॉफ की आवाजाही की अनुमति दी जाए;

ङ) मीडिया कर्मियों, डीएसएनजी और अन्य को ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही और ईंधन की व्यवस्था, जहां कहीं अपेक्षित हो, को सुकर बनाया जाए; और

च) निर्बाध बिजली आपूर्ति और अन्य साजो-सामान की उपलब्धता, जैसा इन सुविधाओं द्वारा अनुरोध किया जाए, की व्यवस्था की जाए।

4. यदि संबंधित सेवा प्रदाताओं को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने में कोई भी समस्या आती है, तो उन्हें स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वय करने की सलाह दी जा रही है।

भवदीय,

गोपाल (साधवानी)

(गोपाल साधवानी)
निदेशक
दूरभाषः 23385016
ईमेलः sadhwani.gopal@nic.in

प्रतिलिपि प्रेषितः

सभी टीवी चैनल, टेली ऑपरेटर, डीटीएच/एचआईटीएस/एमएसओ/केबल ऑपरेटर/एफएम और सीआरएस ऑपरेटर (मंत्रालय की वेबसाइट से माध्यम से)।